न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –01/2017 (प्रार्थना पत्र)

GCMS No. 2017/00054

1. नन्दकिशोर आत्मज स्व0 रामलाल जाति बैरवा
2. मनोज आत्मज स्व0 रामलाल जाति बैरवा
3. नरेश आत्मज स्व0 रामलाल जाति बैरवा
   निवासीगण फतहपुर, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
4. रामनारायण आत्मज स्व. रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी फतहपुर, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
5. अनोख बाई पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति बैरवा
6. ललिता बाई पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति बैरवा
7. बादाम बाई पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति बैरवा
   निवासीगण फतहपुर, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
8. श्रीमति मोहनी बाई पत्नि स्व0 रामलाल बैरवा नि0 फतेहपुर तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, आदित्य नगर, मोड़क तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा, जरिये एन0के0 माहेश्वरी उपमहाप्रबन्धक, कार्मिक एवं प्रशासन एवं फैक्टरी मैनेजर एवं अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, आदित्य नगर, मौड़क जिला कोटा
2. सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

———रेस्पोडेन्ट.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 89 राजस्थान ले0रे0 एक्ट बाबत मुआवजा अदा किये जाने ।

उस्थिति

1. श्री बी0सी0 मालवीय, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री मनीष गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

निर्णय

दिनांक– 07.04.2021

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजीयात खसरा नं0 59 रकबा 0.76 हे0 बारानी तृतीय एवं खसरानं0 72 रकबा 0.49 हे0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम गणेशपुरा खुर्द, पटवार क्षैत्र बुधखान में स्थित है, जो प्रतिपक्षीगण नं0 1 जो सीमेंट उत्पादन का कार्य करता है की राज्य सरकार द्वारा जारी खनन लीज का लाईसेंस जारी किया हुआ है । प्रतिपक्षी की खनन लीज के अन्तर्गत ग्राम बुधखान की काफी जमीन आ रही है जिसे प्रतिपक्षी द्वारा काश्तकारों को उचित मुआवजा भुगतान कर अधिग्रहित किया जा रहा है अभी मौजूदा स्थिति में प्रतिपक्षी का खनन कार्य प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात से करीब 1000 फुट दूर चल रहा है, प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2016 में उक्त आराजीयात पर असकन्द की फसल तैयार की गयी थी प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात पर काबिज चले आ रहे है,प्रतिपक्षी के अधिकारियें द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा किए जाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, प्रार्थीगण की भूमि पर पत्थर की दीवार का निमार्ण किया जा रहा है । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते

की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर प्रतिपक्षीनं0 1 द्वारा खनन क्षैत्र के काम में लाने के लिए प्रार्थीगण के साम्पत्तिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस प्रकार प्रतिपक्षी द्वारा कोई प्रत्यायोजन तब तक नहीं किया जावेगा जबतक कि प्रभावित भूमि में अधिकार रखने वाले उन समस्त व्यक्तियों को नोटिस देकर उनकी आपत्तियां नहीं सुन ली गई हो । प्रतिपक्षी द्वारा बिना प्रार्थीगण को नोटिस दिये तथा उनकी आपत्तियों को सुने बगैर बिना विचार किये उनकी जमीन को जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार का कोई भी अभिहस्तांकिती जिला कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भूमि पर प्रवेश या कब्जा नहीं कर सकता, जब कि प्रतिकर निश्चित न कर दिया जाये तथा उन काश्तकार को प्रदान कर दिया जाये जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर विनय है कि प्रतिपक्षी को बिना विधिक प्रक्रिया के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर खनन कार्य न करने के लिए पाबन्द किया जाये तथा बिना मुआवजा अदा किये प्रार्थीगण की आराजीयात को अधिग्रहित करने तथा बाउण्ड्रीवाल बनाने से रोका जावे ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजीयात खसरा नं0 59 रकबा 0.76 हे0 बारानी तृतीय एवं खसरानं0 72 रकबा 0.49 हे0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम गणेशपुरा खुर्द, पटवार क्षैत्र बुधखान में स्थित है, जो प्रतिपक्षीगण नं0 1 जो सीमेंट उत्पादन का कार्य करता है की राज्य सरकार द्वारा जारी खनन लीज का लाईसेंस जारी किया हुआ है । प्रतिपक्षी की खनन लीज के अन्तर्गत ग्राम बुधखान की काफी जमीन आ रही है जिसे प्रतिपक्षी द्वारा काश्तकारों को उचित मुआवजा भुगतान कर अधिग्रहित किया जा रहा है अभी मौजूदा स्थिति में प्रतिपक्षी का खनन कार्य प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात से करीब 1000 फुट दूर चल रहा है, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर प्रतिपक्षीनं0 1 द्वारा खनन क्षैत्र के काम में लाने के लिए प्रार्थीगण के साम्पत्तिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस प्रकार प्रतिपक्षी द्वारा कोई प्रत्यायोजन तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि प्रभावित भूमि में अधिकार रखने वाले उन समस्त व्यक्तियों को नोटिस देकर उनकी आपत्तियां नहीं सुन ली गई हो । प्रतिपक्षी द्वारा बिना प्रार्थीगण को नोटिस दिये तथा उनकी आपत्तियों को सुने बगैर बिना विचार किये उनकी जमीन को जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार का कोई भी अभिहस्तांकिती जिला कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भूमि पर प्रवेश या कब्जा नहीं कर सकता, जब कि प्रतिकर निश्चित न कर दिया जाये तथा उन काश्तकार को प्रदान कर दिया जाये जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर विनय है कि प्रतिपक्षी को बिना विधिक प्रक्रिया के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर खनन कार्य न करने के लिए पाबन्द किया जाये तथा बिना मुआवजा अदा किये प्रार्थीगण की आराजीयात को अधिग्रहित करने तथा बाउण्ड्रीवाल बनाने से रोका जावे ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि प्रार्थी क्रम 1,2,3 के दादा एवं प्रार्थी क्रम 4,5,6,7 के पिता एवं क्रम 8 के ससुर श्री रामचन्द्र जी बैरवा जो उक्त आराजियात के मूल खातेदार थे, उनके द्वारा दिनांक 16.01.1992 को जरिये इकरारनामा एवं दिनांक 5.01.1996 को जरिये शपथ पत्र उक्त भूमि माईनिंग कार्य हेतु मुआवजा प्राप्त कर मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड को संभला दी थी और तभी से उक्त आराजीयात पर मंगलम सीमेन्ट लि0 का कब्जा है । वर्तमान में मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा उक्त आराजीयात पर

जिला कलेक्टर
कोटा

बाउण्ड्रीवाल करवा रखी है । श्री रामचन्द्र जी द्वारा मुआवजा प्राप्त करने की रसीदे भी मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि0 के पास मौजूद है एवं उक्त खसरा नम्बरान मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड के खनिज क्षैत्र में आते है इसका अंकन भी जमाबंदी में हो रखा है । मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा तत्कालीन खातेदार रामचन्द्र को उचित मुआवजा देकर खनन कार्य की अनुमति प्राप्त कर रखी है एवं उक्त आराजीयात मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि0 के ही कब्जे में है जिसकी ताईद पटवार मण्डल की रिपोर्ट निांक 9.5.2017 से भी होती है । अप्रार्थी मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि0 द्वारा खातेदार रामचन्द्र को वर्ष 1992 व 1996 में उचित मुआवजा राशि अदा कर उनसे मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि0 के लीज एरिया में आने वाली उनकी आराजीयात पर खनन कार्य की सहमति प्राप्त कर ली थी अब रामचन्द्र के वारिसान इससे विपरीत कथन करने से एस्टोप्ड है । प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा प्राप्त कर कब्जा छोडने के 20 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो अवधि बादित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि उनकी पुश्तैनी आराजीयात ग्राम गणेशपुरा खुर्द, पटवार क्षैत्र बुधखान में स्थित खसरा नं0 59 रकबा 0.76 हे0 बारानी तृतीय एवं खसरानं0 72 रकबा 0.49 हे0 किस्म बारानी तृतीय वाके पर बिना मुआजा अदा किये अप्रार्थीगण मंगलम सीमेन्ट द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, इसके विपरीत अप्रार्थी नं0 1 का प्रस्तुत जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात मंगलम सीमेन्ट लि0 की लीजक्षैत्र में आ रही है इस कारण उक्त भूमि का मुआवजा खातेदार रामचन्द्र को वर्ष 1992 व 1996 में उचित मुआवजा राशि अदा कर उनसे मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि0 के लीज एरिया में आने वाली उनकी आराजीयात पर खनन कार्य की सहमति प्राप्त कर ली थी । हमने पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत मुआवजा भुगतान की रसीदों एवं इकरारनामा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तत्समय अप्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थी क्रम 1,2,3 के दादा एवं प्रार्थी क्रम 4,5,6,7 के पिता एवं क्रम 8 के ससुर श्री रामचन्द्र जी बैरवा ने जरिये इकरानामा 5.1.1996 से उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करना एवं कम्पनी को खनन कार्य की सहमति दी गई थी जिसकी पुष्टि अभिभाषक अप्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात इकरारनामा एवं भुगतान की रसीदों से होती है। ऐसी स्थिति में जब खातेदार रामचन्द्र जी द्वारा कम्पनी के खनन कार्य हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने व खनन कार्य की सहमति तत्समय दी जा चुकी थी तो अब प्रार्थीगणों का इस तरह से 20 वर्ष पश्चात मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना उचित प्रतीत नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र निराधार प्रतीत होता है ।

6. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) रा0 ले0रे0 एक्ट के सम्बन्ध में उपर बिन्दु सं0 5 में किये गये विश्लेषण अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा